

पुलिस विभाग जिला झालावाड

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

● **डकैती की योजना बनाते मय हथियार के 05 अभियुक्त गिरफ्तार**

1. थानाधिकारी थाना सुनेल श्री महेश सिंह उ0नि0 द्वारा मय थाने के जाप्ते के दिनांक 10.09.2017 की रात्री को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त -1- मोहनलाल पुत्र रामनारायण उम्र 40 साल 2- गौरीलाल उर्फ प्रेमचन्द उम्र 35 साल 3- सुजान पुत्र रामनारायण उम्र 19 साल 4- भगवानसिंह पुत्र राजबहादुर उम्र 22 साल 5- गोविन्दसिंह पुत्र गोनिया उम्र 22 साल जाति कंजरान निवासीगण किशनपुरिया थाना सदर झालावाड को जोनपुरा खाल पिडावा रोड के पास पुलिया के निचे डकैती की योजना बनाते हुये मय हथियार पिस्टल सरिया लकडी किल का पट्टा छुर्ता जप्त कर मुलजिमान के विरुद्ध प्रकरण संख्या 178/17 धारा 399,402 भादस व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● **अवैध हथियार सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार**

1. थानाधिकारी थाना जावर द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - गोपाल पुत्र मोतीलाल उम्र 35 साल निवासी जूनापानी थाना जावर के कब्जे से अवैध देशी कट्टा 12 बोर बिना अनुज्ञापत्र के जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 132/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
2. थानाधिकारी थाना दांगीपुरा द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान (1)- अभियुक्त - कैलाश पुत्र पुनमचन्द उम्र 33 साल निवासी कोली मोहल्ला थाना अकलेरा के कब्जे से एक धारदार छुर्ता बिना अनुज्ञापत्र के जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 124/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया (2)- अभियुक्त - मुकेश पुत्र धन्नलाल उम्र 27 निवासी खुरी गोपालपुरा थाना अकलेरा के कब्जे से एक धारदार तलवार बिना अनुज्ञापत्र के जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 125/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। (3)- अभियुक्त - नरेन्द्र पुत्र औमप्रकाश उम्र 48 साल नि. नई बस्ती अकलेरा थाना अकलेरा के कब्जे से एक धारदार तलवार बिना अनुज्ञापत्र के जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 126/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
3. थानाधिकारी थाना रटलाई द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - रसीद मंसूरी पुत्र मजीद मंसूरी उम्र 42 साल निवासी रटलाई थाना रटलाई के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र अवैध धारदार चाकू जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 107/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
4. थानाधिकारी थाना कामखेड़ा द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - मोहनलाल पुत्र माधोसिंह उम्र 52 साल निवासी पिपलिया थाना कामखेड़ा के कब्जे से एक धारदार बलम जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 118/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
5. थानाधिकारी थाना भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गश्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त - शरीफ पुत्र कमालउदीन उम्र 45 साल निवासी कुम्हारो का मोहल्ला बडे स्कूल के पास सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा ग्रामीण को अवैध धारधार हथियार छुर्ती को लेकर घुमते हुए को जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 248/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● अवैध शराब सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1. थानाधिकारी **थाना गंगधार** द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – गोपाल पुत्र नारायण उम्र 25 साल नि0 गंगधार थाना गंगधार के कब्जे से 5 लीटर कच्ची हथकड शराब जप्त कर प्रकरण संख्या 157/17 धारा 16/54 एक्साईज एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
2. थानाधिकारी **थाना कोतवाली** द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – बंटी पुत्र ओमप्रकाश उम्र 33 साल निवासी कुम्हार मोहल्ला कालेज के पीछे झालावाड़ को अवैध देशी शराब के 52 पक्वे ले जाते हुये को जप्त कर प्रकरण संख्या 485/17 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
3. थानाधिकारी **थाना मनोहरथाना** द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – मागीलाल पिता मथुरालाल उम्र 32 साल निवासी चाचोडा एमपी को अवैध देशी शराब ढोला मारु के 62 पक्वो के बिना अनुज्ञापत्र के जप्त कर प्रकरण संख्या 297/17 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● जुआ खेलतें 10 अभियुक्त गिरफ्तार 17,030 / –रु0 बरामद

1. थानाधिकारी **थाना भवानीमण्डी** द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त –1–विनोद मीणा पुत्र कैलाशचन्द उम्र 20 साल निवासी खोती थाना भवानीमण्डी 2– अमरलाल पुत्र रामजी लाल आयु 23 वर्ष निवासी खोती थाना भवानीमण्डी को सार्वजनिक स्थान पर सट्टा खेलते हुये से सट्टा राशि 850 / – रुपये व 52 ताश के पत्तो को जप्त कर प्रकरण संख्या 247/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
2. थानाधिकारी **थाना कोतवाली झालावाड़** द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान (1)– अभियुक्त –1. रामदयाल पुत्र बीरबल उम्र 45 साल निवासी भोई मोहल्ला खान के पास झालावाड़ 2. तख्तसिंह पुत्र गोरधन उम्र 44 साल निवासी कालीदास कोलोनी को सार्वजनिक स्थल पर ताश के पत्तो पर रूपयो का दाँव लगाकर जुआ खेलते हुये को 10070 / –रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 486/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया (2)– अभियुक्त–1–साबिर रजा पुत्र हमीद अली आयु 35 साल निवासी पीलखाना मोहल्ला झालावाड़ 2–ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल 40 साल 3– रमेशचंद पुत्र भूरालाल आयु 65 साल निवासी भोई मोहल्ला झालावाड़ को सार्वजनिक स्थल पर ताश के पत्तो पर रूपयो का दाँव लगाकर जुआ खेलते हुये को 5100 /रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 487/17 धारा 13 आर. पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया (3)– अभियुक्त –1. चॉद उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र कालू उर्फ हरिमोहन उम्र 23 साल 2. अजय यादव पुत्र जगदीश उम्र 24 साल निवासी यादव का रेगर मोहल्ला झालावाड़ 3. मनोज पुत्र कस्तुर चन्द उम्र 24 साल निवासी ओल्ड ब्लोक स्कूल के पीछे झालावाड़ को सार्वजनिक स्थल पर ताश के पत्तो पर रूपयो का दाँव लगाकर जुआ खेलते हुये को 1010 / –रुपये के जप्त कर प्रकरण संख्या 488/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते हुए वाहन चालक गिरफ्तार

1. थानाधिकारी **थाना घांटोली** द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त– गोपाल पुत्र मोहनलाल उम्र 22 साल नि0 रामपुरीया थाना भोजपुर एम.पी को सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज मे गाने बजातें हुए को पकड कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 151/17 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
2. थानाधिकारी **थाना पगारिया** द्वारा दिनांक 10.09.2017 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त– शहजाद पुत्र शफी मोहम्मद उम्र 27 साल निवासी शिवगढ थाना कानड जिला आगर म0प्र0 को ट्रेक्टर पर तेज आवाज में बिना अनुज्ञापत्र के टेपरिकार्डर बजाते हुए को पकड

कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 71/17 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट में 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

1. थाना जावर दिनांक 10.09.2017 को केस न0 34/99 धारा 341,365,504 भादस में अभियुक्त- (1)- भीमा पुत्र नाथू बंजारा उम्र 55 साल निवासी झिरी का चोक थाना कुम्भराज म0प्र0 (2)- अभियुक्त- हजारी पुत्र नाथू बंजारा उम्र 58 साल निवासी झिरी का चौक थाना कुम्भराज म0प्र0 को न्यायालय द्वारा जारी **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट** में गिरफ्तार किया।

● गिरफ्तार वारण्टी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

1. थाना भवानीमण्डी दिनांक 10.09.2017 को (1)- केस न0 202/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त- चाँन्द मौहम्मद पुत्र रशीद शाह उम्र 30 साल निवासी माण्डवी रोड (2)- केस न0 87/13 धारा 3/4 आरपीजीओ एक्ट में अभियुक्त- राजेश पुत्र रमेशचन्द उम्र 35 साल निवासी माण्डवी रोड हरिजन मौहल्ला को न्यायालय द्वारा जारी **गिरफ्तारी वारण्ट** में गिरफ्तार किया।

-----“-----”-----